खण्डपीठ बन्दी प्रत्यक्षीकरण याचिका संख्या संख्या-7097/2006

17.11.2006

माननीय न्यायाधिपति श्री शिव कुमार शर्मा

माननीय न्यायाधिपति श्री चतरा राम जाट

श्री भरत सैनी, अधिवक्ता वास्ते प्रार्थी।

श्री एम.एल. गोयल,अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता वास्ते राज्य।

सुना गया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी का कथन है कि उन्हें सूचना मिली है कि पुलिस द्वारा निरूद्ध को बरामद कर लिया गया है। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी के उक्त कथन को दृष्टिगत रखते हुए अब इस बन्दी प्रत्यक्षीकरण याचिका में और कोई निर्देश दिया जाना शेष नहीं रह जाता । अत: यह बन्दी प्रत्यक्षीकरण याचिका निरस्त की जाती है।

(न्या. चतरा राम जाट) **(न्या. शिव कुमार शर्मा)**

खण्डपीठ दाण्डिक जेल अपील संख्या-044/2005

17.11.2006

माननीय न्यायाधिपति श्री शिव कुमार शर्मा
माननीय न्यायाधिपति श्री चतरा राम जाट

श्री महेन्द्र शाण्डिल्य अधिवक्ता/न्यायमित्र वास्ते अपीलार्थी।
श्री एम.एल. गोयल,लोक अभियोजक वास्ते राज्य।

सुना गया। कार्यालय द्वारा इंगित आक्षेप नजर अन्दाज किए जाते हैं। प्रकरण को खण्डपीठ दाण्डिक जेल अपील के रूप में दर्ज रजिस्टर किया जावे।

अपील विचारार्थ ग्रहण की जाती है। अपीलार्थी की ओर से प्रकरण में पैरवी करने के लिए श्री महेन्द्र शाण्डिल्य अधिवक्ता को न्यायमित्र नियुक्त किया जाता है। रजिस्ट्री को निर्देश दिया जाता है कि उन्हें वांछित दस्तावेजों की प्रतियॉ उपलब्ध करावें।

(न्या. चतरा राम जाट) **(न्या. शिव कुमार शर्मा)**

खण्डपीठ दाण्डिक विविध द्वितीय दण्डज्ञा प्रार्थना पत्र संख्या- 0538/2005

अन्तर्गत

खण्डपीठ दाण्डिक अपील संख्या-1779/2003

17.11.2006

माननीय न्यायाधिपति श्री शिव कुमार शर्मा
माननीय न्यायाधिपति श्री चतरा राम जाट

अपीलार्थी/ प्रार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

श्री एम.एल. गोयल,लोक अभियोजक वास्ते राज्य।

लोक अभियोजक को द्वितीय दण्डाज्ञा प्रार्थना पत्र पर सुना गया तथा अभिलेख का गहनता पूर्वक परीक्षण किया गया।

इस न्यायालय द्वारा पूर्व पारित आदेश को परिवर्तित करने का कोई यथोचित आधार प्रतीत नहीं होता।अत: अपीलार्थी/प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत यह द्वितीय दण्डाज्ञा प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

(न्या. चतरा राम जाट) **(न्या. शिव कुमार शर्मा)**